न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना
बइजलास – रिछपाल सिंह बुरड़क, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 01/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी नागौर		1.श्री अंकित शर्मा पुत्र मक्खनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी मु0पों0 मिठड़ी तह0 लाडनूं जिला नागौर फर्म–श्याम कैटर्स एण्ड मिष्ठान भण्डार,मैन मार्केट मिठड़ी लाडनूं 2.श्री राकेश शर्मा पुत्र मक्खनलाल निवासी हाल मुकाम मिठड़ी तह0 लाडनूं जिला नागौर

आदेश

दिनांक:25.01.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी दिनांक **15.09.2020.** दौराने गश्त चैकिंग हेतु 12.15 पीएम पर मैसर्स **मैसर्स श्री श्याम कैटर्स एण्ड मिष्ठान भण्डार, मैनमार्केट मिठड़ी तहसील लाडनूं** पर पहुँचा जहॉ पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला,। उस व्यक्ति को मैनें अपना परिचय दिया, परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। इस समय दूकान पर श्री अंकित शर्मा पुत्र मक्खन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उपस्थित मिला। इस समय दूकान पर श्री अंकित शर्मा पुत्र मक्खनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आम जनता को खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन इत्यादि को विकय हेतु रखे थे, पूछने पर उक्त फर्म का मालिक स्वयं के भाई राकेश शर्मा को होना बताया, विकेता से वास्ते निरीक्षणार्थ अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मांगा गया,जो पत्रावली पर संलग्न है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विकेता की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया गया जहॉ पर लगभग 05 किलो गुलाब जामून एक स्ट्रील की ट्रे में आमजन को विकय वास्ते रखे हुए थे। विकेता से पूछने पर वनस्पति में बना होना बताया मूझे इसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने विकेता से 2 किलो गुलाब जामून (वनस्पति में बने हुए) तुलवाकर एक साफ सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में नमूने के तौर पर खरीदा जिसकी किमत विकेता को 400/– नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विकेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विकेता को बता दिया था कि यह गुलाब जामून नमूना एफसएएससस एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। नमूना वास्ते जॉच लिया जाकर सीरीयल कोड नं0 **Q-1341** अंकित किया गया उक्त नमूने की जांच **Public Health Laboratory Ajmer,Rajasthan** से करवाई गयी। जिनकी जॉच रिपोर्ट कमांकः **L.S.290/Act/2020/166** दिनांक 22.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ गुलाब जामून (वनस्पति में बने हुए) का नमूना **Sub- Substandard** होना पाया गया । उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त **श्री अंकित शर्मा पुत्र मक्खलाल जाति ब्राहम्ण व श्री राकेश शर्मा**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पुत्र मक्खनलाल फर्म श्री श्याम कैकर्ए एण्ड मिष्ठान भण्डार मिठड़ी, लाडनूं ने एफ.एस.एस.ए. 2006के नियम एवं विनियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) व दण्डनीय धारा 51 का उल्लघन किया है। , जो एफ. एस.एस.ए 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माना से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2.खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक **31.12.22020** को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 08.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक **21.01.2021**को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जो शामील मिसल है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि मेरे गुलाब जामून बनाने में समस्त शुद्ध सामग्री का उपयोग किया गया है फिर भी यदि गुलाब जामून में किसी प्रकार का अमानक पाया जाता है तो में इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तथा निवेदन किया है कि आगामी समय में कभी भी ऐसी गलती नही होगी।

3.खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सूना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोट संख्या **L.S.290/Act/2020/166** एवं दिनांक **22.10.2020** के अनुसार खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (वनस्पति में बने) का नमूना **Substandard** पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 का अपराध करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण श्री अंकित शर्मा पुत्र मक्खन लाल शर्मा जाति ब्राहमण व श्री राकेश शर्मा पुत्र मक्खनलाल शर्मा निवासीगण मु0पो0 मिठड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर पर रूपये.7500/+ 7500 अक्षरे कुल रूपये पन्द्रह हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि मे शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

4. आदेश दिनांक 25.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अखिलेश पाल सिंह राजपुरोहित
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर,
डीडवाना